

DIR/18

रजिस्ट्री सं. डीएल (एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)—04/0007/2003—05



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14—अप्रैल 20, 2007 (चैत्र 24, 1929)
No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14—APRIL 20, 2007 (CHAITRA 24, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

NATIONAL HOUSING BANK
(WHOLLY OWNED BY THE RESERVE BANK OF INDIA)
HOUSING FINANCE COMPANIES (NHB) DIRECTIONS, 2001

Direction No. NHB.HFC.DIR. 18/CMD/2007

New Delhi, the 26th March 2007

The National Housing Bank is satisfied that, in the public interest and for the purpose of enabling the National Housing Bank to regulate the housing finance system in the country to its advantage, it is necessary so to do, hereby in exercise of the powers conferred on it by sections 30A and 31 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987) and all the powers enabling it in this behalf, directs that the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001 shall with immediate effect, be further amended in the following manner, namely:—

After paragraph 24 (1) (iii), of the Housing Finance Companies (NHB) Directions, 2001, a new sub-paragraph shall be inserted as (iv), viz.

"(iv) Standard Assets in respect of non-housing loans

A general provision of 0.4% of the total outstanding amount of non-housing loans which are standard assets, shall be made, as under :

- (a) 0.1 percent by March 31, 2007
- (b) 0.2 percent by June 30, 2007
- (c) 0.3 percent by September, 2007
- (d) 0.4 percent by December, 2007"

S. SRIDHAR
Chairman & Managing Director

राष्ट्रीय आवास बैंक

आवास वित्त कम्पनी (रा.आ.बैंक) निर्देश, 2001

निर्देश सं. एनएचबी,एचएफसी.डीआईआर,18/सी एम डी/2007

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 2007

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम इससे संतुष्ट है कि, सार्वजनिक हित में और देश की आवास वित्त प्रणाली को अपने हित में विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को समर्थ करने के प्रयोजनार्थ, ऐसा करना आवश्यक है, कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में कार्रवाई करने के लिए समर्थ बनाने संबंधी सभी शक्तियों के अन्तर्गत एतद्द्वारा निर्देश देता है कि आवास वित्त कम्पनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 तुरंत प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, अर्थात्--

आवास वित्त कम्पनी (राआबैंक) निर्देश, 2001 के अनुच्छेद 24(1) (iii) के बाद, एक नया उप-अनुच्छेद (iv) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात्

“(iv) गैर-आवासीय गैर-बैंकिंग आवासीय ऋणों की कुल बकाया राशि का सामान्य प्रावधान 0.4% ऋणों के बारे में मानक जो मानक आस्तियां हैं, नीचे लिखे अनुसार किया जाएगा :

- (क) 31 मार्च, 2007 तक 0.1 प्रतिशत
- (ख) 30 जून, 2007 तक 0.2 प्रतिशत
- (ग) 30 सितम्बर, 2007 तक 0.3 प्रतिशत
- (घ) 31 दिसम्बर, 2007 तक 0.4 प्रतिशत

एस. श्रीधर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक